में दिनांक 29/11/21 को पेश हों।

29/11/21 चकबन्दी प्रमाणन गोष्ठी के लिए अभिमत विधिक सलाह हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम होने पूर्व अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं चलने का निर्णय किया गया है। चकबन्दी का अवलोकन किया जाना किन्तु अधिग्रहण संबंध अपने बाद के कार्यवाही नहीं चलते है ऐसी स्थिति के अधिग्रहण का बाद विज्ञप्ति के अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः अधिग्रहण का निरस्त किया जाकर अधिग्रहण का शेष अनुमेय होने से 3,188 RCA 1959 की विज्ञप्ति के अवलोकन किया जाकर चकबन्दी की गणना निर्धारित इन्तजाम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में की जावे। निर्णय पश्चात प्रमाणन गोष्ठी के लिए अभिमत विधिक सलाह में भेजा जाय।

प्रेमाराम बिश्नोई
चकबन्दी अधिकारी
प्रकरणों
शासकीय अधिवक्ता
शिवराम उपाध्याय
22/11/21

ओंकारलाल
गुवाल

जगदीश
गुवाल

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.12.08 11:47:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner